Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN: 2581-6241 Volume - 3, Issue - 3, May-June – 2020
Bi-Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 3.589
Received on : 06/05/2020 Accepted on : 18/05/2020 Publication Date: 30/06/2020

समावेशी शिक्षा के प्रति उच्च माध्यिमक स्तर के विज्ञान ,वाणिज्य एवं कला संकाय के अध्यापकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन

[1] दिलीप कुमार शर्मा , [2] डॉ. विभा कौशिक,
[1] एम.एड. छात्र ज्ञान विहार स्कूल ऑफ एजूकेशन सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान
[2] अस्सिटेन्ट प्रोफेसर, ज्ञान विहार स्कूल ऑफ एजूकेशन, सुरेश ज्ञान विहार विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान
ई–मेल आईडी : dilipk95@gmail.com

सार : समावेशी शिक्षा के प्रति उच्च माध्यिमक स्तर के विज्ञाान, वाणिज्य एवं कला संकाय के अध्यापकों की अभिवृत्ति का पता लगाना। ऑकड़ों को एकत्रित करने के लिए स्व–निर्मित टूल का उपयोग किया गया जो शिक्षकों की समावेशी शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का पता लगायेगा। शोधकर्ता ने न्यादर्श का चयन करने के लिए यादृच्छिक विधि का उपयोग किया। सांख्यिकी विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानकविचलन और टी–टेस्ट का उपयोग किया। निष्कर्षों से पता चलता है कि समावेशी शिक्षा के लिए विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अभिवृत्ति में कोई महत्वपूर्ण अन्तर नहीं था।

मुख्य बिन्दु : समावेशी शिक्षा, शिक्षक, विद्यालय, अभिवृत्ति ।

1.1 प्रस्तावना :

समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अपंग, बाधित और असमर्थी बालकों के वहीं अधिकार है जो अन्य सामान्य बालकों के है और उनको सामान्य बालकों के समान ही समाज में प्रगति करने का अधिकार है। जीवन के अनेक कार्यक्षेत्रों में पहुंचने के समान अवसर है जो अन्य नागरिकों के है और वे समाज में राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने के बराबर के भागीदार है। समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया छात्रों के पास–पास आने व एक–दूसरे से दूरी कम करने से प्रारंभ होती है। यही प्रक्रिया सामाजिक दूरी कम करने और आपसी सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करती है। इससे सामाजिक समन्वय को बल मिलता है। और विभिन्न प्रकार के बालकों के समूह समाज में बराबर के भागीदार बनते हैं और राष्ट्रीयता एकता को बढ़ावा मिलता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 (नीति निर्देषक तत्व) में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चें की अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से इस हेतु प्रयास जारी है, तथापि आज भी प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति आंषिक तौर पर ही हुई है। इसका सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा का सभी बच्चों तक एक समान प्राप्त ना होना। पूर्व में विकलांग बालकों कोशिक्षा से जोड़ने हेतु विषेश शिक्षा प्रारंभ की गयी, तत्पष्चात् एकीकृत शिक्षा का उदय हुआ और वर्तमान में समावेषी–शिक्षा की अवधारणा का उदय हुआ।

वर्तमान में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों के लिए शिक्षा की दो प्रकार की व्यवस्थायें है। एक, वह जिन्हें हम विशेष विद्यालय कहते हैं, जो ज्यादातर शहरों में स्थित आवासीय है, जिनका उद्धेश्य केवल एक प्रकार के विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना होता हैं और दूसरा तरीका हैं कि उन्हें अन्य सभी बालकों के साथ आस–पड़ोस के सामान्य विद्यालयों में भेजा जाये और वही उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने की व्यवस्था की जाये। इस प्रकार के विद्यालयों में सभी बालक एक–दूसरे के साथ मिल–जुलकर एक–दूसरे से सीख सकते है, परंतु बालक को बाद में उसी समाज में रहना है जिसका वह हिस्सा हैं इसलिए क्यों न बालक को प्रारंभ से ही उसी माहौल में रखा जाये जहाँ उसे विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात् रहना है। इसलिए अच्छा होगा कि यदि आरंभ से बालक को मुख्य धारा वाले ऐसे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा जाये जहाँ अन्य सामान्य बालक भी जाते हैं। इसी अवधारणा के साथ समावेशित शिक्षा व्यवस्था प्रणाली का आरंभ हुआ।

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से हैं जिसमें प्रत्येक बालक को चाहे वह विशिष्ट हो या सामान्य, बिना किसी भेदभाव के, एक साथ, एक ही विद्यालय में, सभी आवश्यक तकनीकों व सामग्रियों के साथ, उनकी सीखने सिखाने की जरूरतों को पूरा किया जाये। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृति है जिसके अंतर्गत विविध क्षमताओं वाले बालक सामान्य शिक्षा प्रणाली में एक साथ अध्ययन करते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक बालक अद्वितीय है और उसे अपने सहपाठियों की तरह कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण की आवश्यकता हो सकती है। बालक के पीछे रह जाने पर उसे दोषी नहीं ठहराया जाता है, बल्कि उसे कक्षा में भली–भाँति समाहित न कर पाने पर शिक्षक की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती हैं।

1.2 समस्या का औचित्य :

भारत में दिव्यांगो और समाज की मुख्य धारा से पृथ्क बच्चो की संख्या सामान्य बच्चो से अपेक्षाकृत कम है। इनके विकास के बिना देष का पूर्ण विकास संभव नहीं है। भारत में विशेष आवष्यकता वाले बालकों का इतिहास एक बदलते स्वरूप में उभरता हुआ दिखाई देता है। भारत की विशिष्ट शिक्षा आयामों में एक महत्वपूर्ण आयाम है –**''समावेशित शिक्षा''**

शोधकर्ता शिक्षकों की समावेशी–शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन करेगा और यह जानने का प्रयास करेगा कि उन्हें इस बारे में कितनी जानकारी है और उनकी अभिवृति किस स्तर की है।

शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अतः शिक्षक को शिक्षा की इस नवीन विद्या का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक को छात्रों की विविधता को स्वीकार कर उन्हें प्रेरित करने का कार्य करना चाहिए। वर्तमान प्रतिस्पर्धा के दौर में विशेष आवष्यकता वाले विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में शिक्षक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अतः प्रस्तुत शोध कार्य शिक्षकों को समावेषी–शिक्षा के प्रति जागरूक बनानेऔर विशेष आवष्यकता वाले बालकों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने के उद्देष्य से किया गया है।

1.3 शोध समस्या कथन :

समावेशी शिक्षा के प्रति उच्च माध्यिमक स्तर के विज्ञान ,वाणिज्य एवं कला संकाय के अध्यापकों की अभिवृत्ति का तुलनात्मक अध्ययन ।

1.4 संबधित साहित्य का अध्ययन

1.4.1भारत में किये गये अध्ययन

1.दीपक शर्मा (2012) ने भारत मे विभिन्न क्षेत्रो के अभिभावको का समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन के प्रति अभिवृति।

उद्धेश्य– शोध का उद्धेश्य भारत मे समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन मे विभिन्न क्षेत्रो के अभिभावको के अभिवृति का तुलनात्मक अध्ययन करना। **न्यादर्श** – भारत के विभिन्न क्षेत्रो से सामान्य प्रायिकता न्यादर्शन विधि द्वारा 150 अभिभावको के चयनित किया गया प्रस्तुत शोध सर्वेक्षण विधि द्वारा किया गया।

उपकरण – प्रदत विश्लेषण संकलन मे अभिवृति स्केल का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकी – प्रदत विश्लेषण हेतु मध्यमान प्रमाणिक विचलन एवं टी–परीक्षण का प्रयोग किया गया,।

निष्कर्ष –निष्कर्षतः पाया गया कि भारत मे समावेशी शिक्षा ने कार्यान्वयन मे मेट्रो सिटी मे रहने वाले पुरूष व महिला अभिभावको के अभिवृति मे कोई सार्थक अंतर नही पाया गया।

2. **पी रेनूकला (2012)** ने दृष्टि बाधित बच्चो के समावेशी शिक्षा पर अभिवृति स्केल के विकास एवं मानवीकृत का अध्ययन।

उद्धेश्य – प्रस्तुत का उद्धेश्य दृष्टिदोष बच्चो के समावेशी शिक्षा पर अभिवृति स्केल का निर्माण करना।

न्यादर्श–न्यादर्श स्केल आंध्रप्रदेश के चितूर जिले के 370 सरकारी अध्यापको द्वारा विकसित व मानकीकृत किया गया।

उपकरण –अभिवृति स्केल मे निष्कर्षतः 45 आइटम चयनित किये गये। जिनमे 5 भागो मे बांटा गया जो इस प्रकार थे– समावेशी का संप्रत्यय, सामान्य अध्यापक, सामान्य बच्चे, अक्षम बच्चे तथा अभिभावक।

3. **रेखा रानी (2011)** ने समेकित एंव विशिष्ट विद्यालयो मे अध्ययनरत दृष्टि बाधित विद्यार्थियो की सांवेगिक बृद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि।

उद्धेश्य –प्रस्तुत अध्ययन का उद्धेश्य एकीकृत एवं पृथक दृष्टि बधिर विद्यार्थियो के सांवेगिक बुद्धि की तुलना करना।

न्यादर्श –न्यादर्श नई दिल्ली से प्राप्त किया गयां जिसमे 61 दृष्टि बधिर विद्यार्थियो को चयनित किया गया, जिसमे से 28 एकीकृत विद्यालय मे तथा 33 पृथकीकृत विद्यालय मे अध्ययनरत थे।

उपकरण –उपकरण के रूप मे मंगल एवं मंगल द्वारा निर्मित (इमोशनल इटिलजेन्स इन्बेटरी) का चयन किया गया।

सांख्यिकी –प्रदत विश्लेषण हेतु टी–परीक्षण एवं गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक से सांवेगिक बुद्धि एवं शैक्षिक उपलब्धि मे संहसंबध ज्ञात करने हेतु किया गया।

निष्कर्ष –अध्ययन मे निष्कर्ष मे पाया गया कि एकीकृत विद्यालयो मे अध्ययनरत दृष्टि बधिर विद्यार्थियो की सांवेगिक बुद्धि पृथकीकृत विद्यालयो मे अध्ययनरत दृष्टि बधिर विद्यार्थियो की तुलना मे अधिक होता है।

4. **एम. रेज्युस नैनले एवं अन्य (2010)** ने समावेशी शिक्षा का शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक संवेगो पर प्रभाव का अध्ययन।

उद्धेश्य –प्रस्तुत शोध का उद्धेश्य समावेशी शिक्षा का शैक्षिक उपलब्धि तथा सामाजिक संवेग पर प्रभाव अध्ययन करना।

न्यादर्श –न्यादर्शन हेतु उच्च प्राथमिक विद्यालयो से 27745 विद्यार्थियो को चयनित किया गया।

उपकरण –प्रदत संकलन शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण मे भाषा एवं अंकगणित परीक्षण, प्रश्नावली, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया।

निष्कर्ष –निष्कर्षतः पाया गया विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओ वाले बच्चो की शैक्षिक उपलब्धि तथा बुद्धि पर समावेशी व असामवेशी कक्षाओ का कोई अंतर नही पाया गया किन्तु सामाजिक संवेगता पर समावेशी व असमावेशी शिक्षा का न्यूनतम प्रभाव देखा गया।

5. **आर.स.केवट (2009)** ने समेकित शिक्षा के अंतर्गत सामान्य एवं विशेष विद्यालयो मे अध्ययनरत विकलांग विद्यार्थियो की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक समायोजन का अध्ययन।

उद्धेश्य –1. प्रस्तुत शोध मे विकलांग बच्चो की समेकित शिक्षा के अंतर्गत सामान्य एवं विशेष विद्यालयो के अध्ययनरत् बालक–बालिकाओ की शैक्षिक उपलब्धि एव सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया गया। 2. शोध अध्ययन का उद्धेश्य विशिष्ट विद्यालयो के विकलांग विद्यार्थियो की शैक्षिक उपलब्धि तथा उनके सामाजिक समायोजन का अध्ययन करना।

न्यादर्श –न्यादर्श मे 10 विशेष विद्यालयो से 40 छात्र एवं 40 छात्राओ को चयनित किया गया तथा 20 समेकित विद्यालयो के 40 छात्र एवं 40 छात्राओ को चयनित किया गया।

उपकरण –शोध उपकरण के लिए बाल सामाजिक मापनी श्रीमती रागिनी दुबे द्वारा निर्मित उपकरण प्रयोग किया गया।

सांख्यिकी –इस शोधकार्य मे सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया प्रदत विश्लेषण हेतु मध्यमान प्रामाणिक विचलन एवं टी–परीक्षण प्रयुक्त किया गया।

निष्कर्ष –अध्ययन मे निष्कर्षत पाया गया कि समेकित शिक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत् सामान्य विद्यालय एवं विशिष्ट विद्यालयो मे अध्ययनरत् विकलांग विद्यार्थियो की शैक्षिक उपलब्धि एवं सामाजिक समायोजन मे अंतर नही पाया गया।

1.4.2 विदेशों में किये गये अध्ययन

1. **सेपोन सेविन, एम (2017)** ने समावेशी शिक्षा का महत्व और उपयोगिता का अध्ययन।

उद्धेश्य – वर्तमान शिक्षा प्रणाली (समावेशन विरोधी) की कमियों को प्रकट करना।

निष्कर्ष –1 समावेशन माता–पिता द्वारा अस्वीकृत वाले विद्यार्थियों के देखरेख संबंधी प्रक्रिया है।

2 समावेशन केवल दार्षनिक विचार है जो वास्तविकता से दूर है।

2. **पिना, जेसन बी. (2017)**
उद्धेश्य – महाविद्यालयों में समावेशन और विविधता का अध्ययन किया।
निष्कर्ष –समावेशन वाले कॉलेजों में सभी प्रकार के विद्यार्थियों का अच्छा मानसिक और सामाजिक विकास होता है।
3. **सापुला, लिण्डा (2016)**
उद्धेश्य –समावेशन कक्षा–कक्ष के प्रति शिक्षक अभिवृति का अध्ययन किया।
निष्कर्ष –उन्होनें अपने अध्ययन में पाया कि शिक्षकों की अभिवृति में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होती है। समावेशन शिक्षा के प्रति अधिक धनात्मक अभिवृत्ति दर्षाने वाले शिक्षक समावेषन कक्षा–कक्ष के प्रति अधिक उपयुक्त रहते है।
4. **किर्बी, कार्म डी. (2016)**
उद्धेश्य – किंडर गार्डन कक्षा में प्रस्तुत किये गये स्तरीय ध्वनि ग्राफिक जागरूक निर्देषों का प्रभाव शीर्षक पर अध्ययन के लिए दत संकलन के टी टेस्ट ,ऐनकोबा का प्रयोग रास्ते हुए विष्लेषित किया गया।
निष्कर्ष –किडंरगार्डन के बच्चे जिन्होनें उचित स्तरीय विकासात्मक ध्वनि ग्राफिक जागरूक कार्यकलाप किये तथा जिन्होनें नही किये उनके बीच सांख्यिकी रूप से कोई महत्वपूर्ण अन्तर नही है तथा उन्हें स्वीकार किया गया।
5. **हॉल, सारा कैथरीन (2016)**
उद्धेश्य –''बच्चों से साक्षरता एवं धवन्यात्मक जागरूकता के प्रति अध्ययन किया।
निष्कर्ष –इस अध्ययन के परिणामों के अनुसार, घरेलू भाषा, शिक्षा और पर्यावरण को किसी भी बच्चें में शुरूआती स्तर या दर के विकास के लिये नहीं दर्षाया गया। भाषा और शैक्षिक कौशल ध्वनयात्मक जागरूकता को शामिल करते हुए घर के वातावरण के तीनों स्पष्ट उद्देष्यों से समान नहीं था तथा यह बच्चों से भाषा और शैक्षिक कौशल के बीच सकारात्मक सम्बन्धों के लिये दर्षाया गया।

1.5 अध्ययन के उद्देष्य :

1. समावेषी–शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति कला वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन।
3. समावेशी शिक्षा के प्रति वाणिज्य वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन।

1.6 शोध की परिकल्पनाएँ :

1. समावेशी–शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
2. समावेशी शिक्षा के प्रति कला वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।
3. समावेशी शिक्षा के प्रति वाणिज्य वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया जाता है।

1.7 समस्या कथन में प्रयुक्त शब्दावली की व्याख्या

समावेशी –शिक्षा :–

समावेशी–शिक्षा का मतलब है कि स्कूलों में सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषायी या अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करना चाहिए।

अभिवृति –अभिवृति व्यक्ति की एक विशेषता है जो व्यक्ति की पसन्द और नापसन्द को निदेर्शित करती है। अभिवृति व्यक्ति की किसी वस्तु, संस्था या अन्य व्यक्ति के प्रति व्यवहार के तरीके को प्रभावित करती है। अभिभावक, शिक्षक, विद्यालय तथा समाज जिसमें व्यक्ति रहता है के द्वारा किसी विशेष वस्तु के प्रति अभिवृति प्रभावित होती है।

शिक्षक :– शिक्षक अर्थात वे प्राध्यापक जो कि 12 वी. कक्षा के छात्रो को अपने ज्ञान से अवगत करवाते है।

विद्यालय – प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधार्थी द्वारा विद्यालय के अन्तर्गत उन विद्यालयों को लिया गया है जहां 12 वी. कक्षा के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है।

1.8 शोध में प्रयुक्त विधि

अतः प्रस्तुत शोध समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षकों की अभिवृति का अध्ययन से सम्बन्धित होने के कारण शोधार्थी द्वारा सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

1.9 अध्ययन में प्रयुक्त न्यादर्श

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत शोधार्थी ने जयपुर जिले के 12वीं कक्षा के शिक्षकों का चयन यादृच्छिक प्रणाली से किया हैं। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

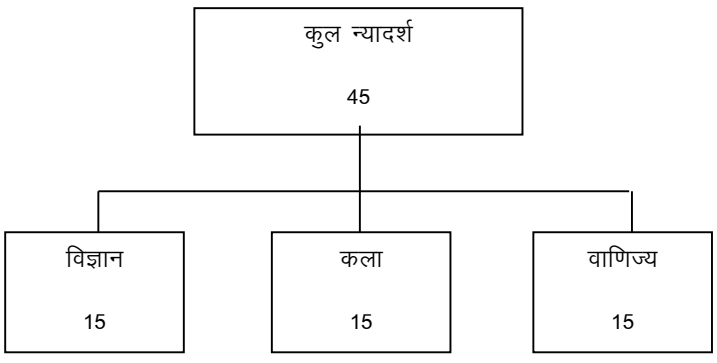

1.10 प्रस्तुत शोध में प्रयुक्त उपकरण

प्रस्तुत शोध को पूर्ण करने हेतु शोधार्थी द्वारा एक स्वनिर्मित उपकरण का प्रयोग किया गया है।

1.11 शोध में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत अध्ययन में मध्यमान, प्रमाप विचलन, टी मूल्य ज्ञात करने के लिए टी परीक्षण इत्यादि सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया गया है।

1.12 अध्ययन का परिसीमन

शक्ति, साधन एवं सीमाओं को ध्यान में रखते हुए अनुसंधानकर्ता ने प्रस्तुत अध्ययन को विषय–विस्तार, न्यादर्ष की दृष्टि से एवं क्षेत्र की दृष्टि से परिसीमित किया है, ताकि शोध कार्य एक निष्चित दिषा में एवं निष्चित समय में पूर्ण हो जायें। अध्ययन का परिसीमन अनुसंधान के क्षेत्र में एक अनिवार्य सोपान है।

1. प्रस्तुत शोध जयपुर जिले तक ही सीमित है।
2. प्रस्तुत शोध मे सी.बी.एस.ई के विद्यालयो को लिया गया है।
3. शिक्षकों को विज्ञान वर्ग से लिया गया।
4. प्रस्तुत लघु शोध में कक्षा 12 के शिक्षकों को लिया गया।

1.13 व्याख्या एवं विलेषण

परिकल्पना 1

समावेशी शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 1

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य	परिकल्पना स्वीकृत/अस्वीकत
कला वर्ग	15	66.13	6.94	2.00	स्वीकृत
विज्ञान वर्ग	15	59.86	9.95		

$df = N_1+N_2 - 2$
$= 15+15-2 = 28$
0.05 सार्थकता स्तर $= 2.05$

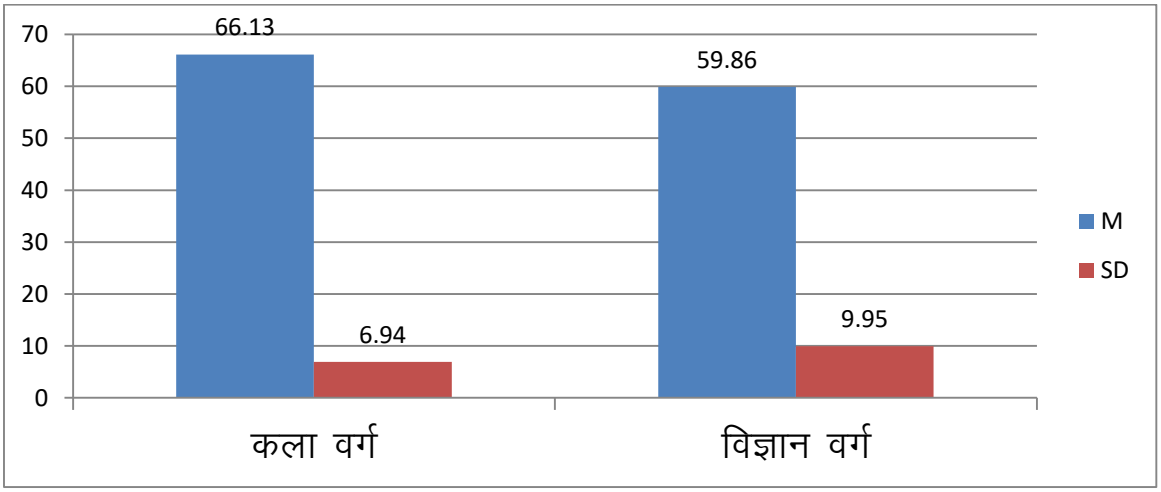

उपर्युक्त तालिका संख्या 1 समावेशी शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति से संबंधित हैं। कला वर्ग का मध्यमान 66.13 एवं मानक विचलन 6.94 तथा विज्ञान वर्ग का मध्यमान 59.86 एवं मानक विचलन 9.95 हैं। स्वतंत्रता का अंश (df=28) का टी–तालिका मूल्य 2.00 है। सार्थकता स्तर 0.05 पर 2.05 हैं जो कि टी की गणना से प्राप्त मूल्य 2.00 से अधिक है। अतः परिकल्पना समावेशी शिक्षा के प्रति विज्ञान वर्ग एवं कला वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 2

समावेशी शिक्षा के प्रति कला वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 2

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य	परिकल्पना स्वीकृत/अस्वीकत
कला वर्ग	15	66.13	6.94	2.02	स्वीकृत
वाणिज्य वर्ग	15	60	9.42		

$df = N_1+N_2 - 2$
$= 15+15-2 = 28$
0.05 सार्थकता स्तर = 2.05

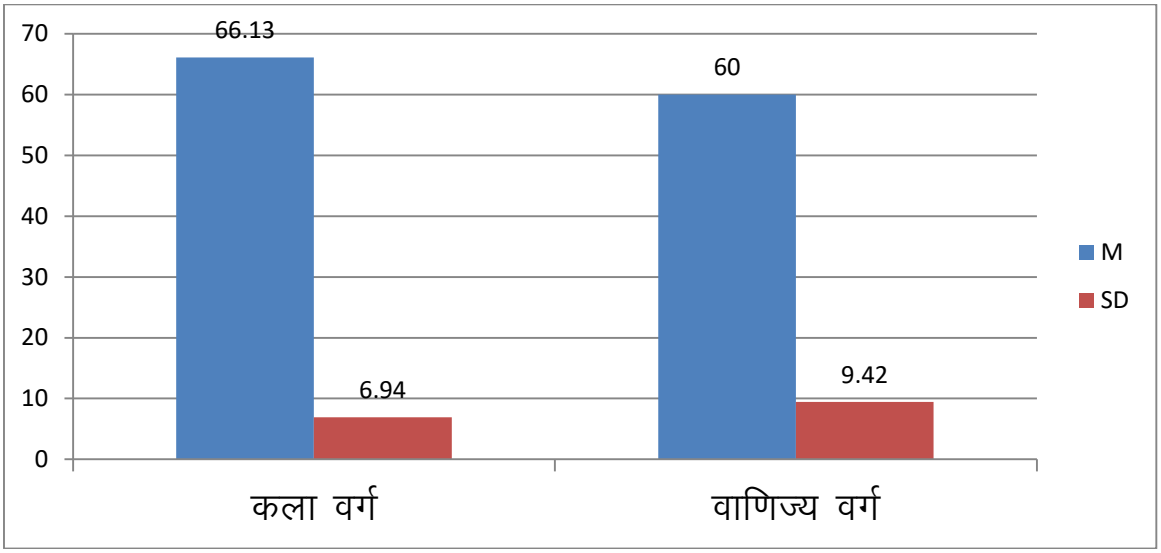

उपर्युक्त तालिका संख्या 2 समावेशी शिक्षा के प्रति कला वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति से संबंधित हैं। कला वर्ग का मध्यमान 66.13 एवं मानक विचलन 6.94 तथा वाणिज्य वर्ग का मध्यमान 60.00 एवं मानक विचलन 9.42 हैं। स्वतंत्रता का अंश (df=28) का टी–तालिका मूल्य 2. 02 है। सार्थकता स्तर 0.05 पर 2.05 हैं जो कि टी की गणना से प्राप्त मूल्य 2.00 से अधिक है। अतः परिकल्पना समावेशी शिक्षा के प्रति कला वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

परिकल्पना 3

समावेशी शिक्षा के प्रति वाणिज्य वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

तालिका 3

समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी–मूल्य	परिकल्पना स्वीकृत/अस्वीकत
वाणिज्य वर्ग	15	60	9.42	0.039	स्वीकृत
विज्ञान वर्ग	15	59.86	9.95		

$df = N_1+N_2 - 2$
$= 15+15-2 = 28$
0.05 सार्थकता स्तर = 2.05

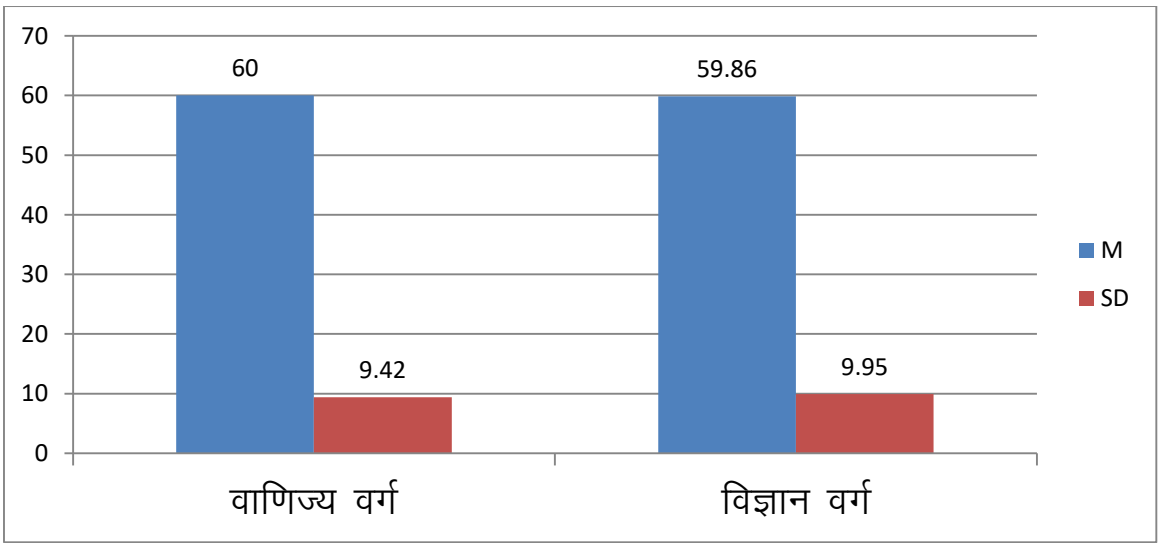

उपर्युक्त तालिका संख्या 3 समावेशी शिक्षा के प्रति वाणिज्य वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति से संबंधित हैं। वाणिज्य वर्ग का मध्यमान 60.0 एवं मानक विचलन 9.42 तथा विज्ञान वर्ग का मध्यमान 59.86 एवं मानक विचलन 9.95 हैं। स्वतंत्रता का अंश (df=28) का टी–तालिका मूल्य 0.039 है। सार्थकता स्तर 0.05 पर 2.05 हैं जो कि टी की गणना से प्राप्त मूल्य 0.039 से अधिक है। अतः परिकल्पना समावेशी शिक्षा के प्रति वाणिज्य वर्ग एवं विज्ञान वर्ग के शिक्षकों की अभिवृति में कोई सार्थक अंतर नहीं है। अतः परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

1.14 शैक्षिक निहितार्थ :

अध्यापकों के लिए

- शिक्षकों को सभी विद्यार्थीयों को सामूहिक रूप से देखना चाहिए क्योंकि सभी विद्यार्थी शिक्षक के लिए समान होते हैं और उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करना चाहिए।
- शिक्षकों को सभी विद्यार्थीयों की आवष्यकता अनुसार शिक्षण विधि को अपनाना चाहिए।
- शिक्षकों को सभी विद्यार्थीयों को ध्यान में रखकर कक्षा में बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें अधिगम कराने में सहायता मिले।
- शिक्षकों को सभी विद्यार्थियों में कुसमायोजन की समस्या को दूर करना चाहिए।
- शिक्षकों को विभिन्न विद्यार्थियों की समस्याओं को विषिष्टता के आधार पर पहचान कर उनका निराकरण करना चाहिए।

अभिभवकों के लिए :

- बच्चों के माता–पिता का समावेशित शिक्षा के प्रति रूचि जाग्रत करना ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षा सामान्य बच्चो को साथ दें।
- सामान्य विद्यालयों में अध्ययनरत शिक्षकों एवं सामान्य बच्चों के अभिभावकों की समावेशी शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण लाना।
- बच्चों के माता–पिता का भी दायित्व है कि वे बच्चों में समावेशी शिक्षा के प्रति रूचि जाग्रत करें ताकि बच्चों में कुण्ठा की भावना न आ सके।
- बच्चो के माता–पिता का भी दायित्व है कि वे बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकें।

प्रबन्धकों के लिए :

- विद्यालय प्रशासन का भी दायित्व है कि सभी बच्चों को वे सभी सुविधाएँ प्रदान करायी जाये जिससे सभी उन सुविधाओं का लाभ उठा सकें।
- विद्यालय प्रशासन का भी दायित्व है कि सभी बच्चों की आवष्यकताओं के अनुसार उन्हें मूलभूत सुविधाएँ दी जायें।
- सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रांगण में रैम्प की व्यवस्था की जाये।
- विद्यालय प्रशासन समावेशी शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को समय–समय पर प्रशिक्षण कार्य में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- विद्यालय प्रषासन को विद्यार्थियों की अपेक्षा के अनुरूप नवीन तकनीकी विधियों को प्रयोग में लेना चाहिए।

1.15 भावी शोध हेतु सुझाव :

- प्रस्तुत शोध कार्य जयपुर जिले के उच्च माध्यमिक शिक्षकों पर किया गया है। भावी शोधकर्ता अन्य जिले के विद्यालयों में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों को लेकर भी कर सकता है।
- आगामी शोध कार्य प्राथमिक, माध्यमिक एवं विष्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों पर किया जा सकता है।
- प्रस्तुत शोध मे सी.बी.एस.ई. के विद्यालायों को लिया गया है। भावी शोधकर्ता आर.बी.एस.ई. के विद्यालयों को भी लेकर कर सकते हैं।
- विद्यार्थियों और प्रधानाचार्य के भी समावेषी–शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति को मापा जा सकता है।
- ग्रामीण व शहरी अभिभावकों की समावेषी शिक्षा के प्रति अभिवृति का अध्ययन किया जा सकता है।
- केन्द्रीय व जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को लेकर भी अध्ययन किया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. शर्मा, आर.ए. (2009), 'विशिष्ट शिक्षा का प्रारूप', सूर्या पब्लिकेषनस्, मेरठ।
2. झा, मदनमोहन (2003), समावेषी–शिक्षाः दृष्टिकोण व प्रक्रियाएं, प्रकाषन संस्थान, नई दिल्ली।
3. यूनेस्को (1994), दि सलमानका स्टेटमेंट एण्ड फ्रेमवर्क फार एक्शन ऑन स्पेषल निड्स एजूकेशन पेरिस–येनस्को
4. डिपार्टमेंट ऑफ एजूकेषन (1988), नेषनल पॉलिसी ऑफ एजेकेषन, 1986, नई दिल्ली, एम.एस.आर.डी., जी.ओ.आई।

5. एन.सी.ई.आर.टी. (2000), नेषनल करीकुलम फ्रेमवर्क फार स्कूल एजुकेशन (एन.सी.एफ.एस.ई.) नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी.।
6. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (2005), एन.सी.ई.आर.टी. (नई दिल्ली)
7. यूनेस्को (2003), समावेशी–शिक्षा दृष्टिकोण से बहिष्करण पर काबू, एक चुनौती स्पेन, पेरिस : यूनेस्को
8. शर्मा, आर.ए. (2009), अनुसंधान विधियॉ, एच.पी. भार्गव बुक हाउस।
9. श्रीवास्तव, डी.एन. (2011), अनुसंधान विधियॉ, साहित्य प्रकाशन, आगरा।
10. अग्निहोत्री, रविन्द्र (1994), आधुनिक भारतीय समस्याएँ और समाधान, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर
11. डॉ. विजयलक्ष्मी मिश्र, (2018), समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं चुनौतियॉ, भारतीय शिक्षा शोध पत्रिका, वर्ष–37, अंक–1, जनवरी–जून 2018।

सर्वे

1. सिक्स सर्वे ऑफ एजुकेशन रिर्सच (1993–2000), वोल्युम–1, एन.सी.ई.आर.टी. (नई दिल्ली)
2. बुच, एम.बी., 'पाँचवी सर्वे ऑफ रिर्सच इन एजुकेशन' (1988–1992) एन.सी.ई.आर.टी. (नई दिल्ली)

ACKNOWLEDGMENT:

प्रस्तुत शोध पत्र को समय पर पूर्ण करने का श्रेय निर्देशक डॉ. विभा कौशिक को जिन्होने लगातार मुझे इस शोध में प्रेरित किया और मुझे अपना कीमती समय प्रदान किया साथ ही उन्होने सुझाव और सलाह के साथ शोधपत्र का चारों तरफ से मार्गदर्शन किया है एवं उनके धीरज प्रोत्साहन, तथा सूक्ष्म पर्यवेक्षण के बिना यह शोध अनुसंधान को पूरा करना संभव नहीं होता।

मैं अपनी संस्था की प्राचार्या डॉ. श्रुति तिवारी के प्रति कृतज्ञ एवं श्रद्वा अभिभूत हूँ जिनके स्नेहिल व्यवहार ने मुझे सीखने का माहौल, कार्य के प्रति निष्ठा एवं नए विचारों के माध्यम से कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना एवं उसको वैज्ञानिक चिंतन के द्वारा हल करने हेतु सदैव मुझे शोध कार्य के प्रोत्साहित किया।

मैं अपनी संस्था की डॉ. रजनी चोपडा, डॉ. महेन्द्र कुमार धाकड, डॉ. सोनीया कौर बसंल, डॉ. रोमा सिंह, डॉ. भावना कुलश्रेष्ठ और डॉ. ज्योति यादव को धन्यवाद देना चाहता हूँ जब भी शोधकार्य में अध्ययन को पूरा करने के लिए मुझे जरुरत पडी तब अपना बहुमूल्य समय दिया। उन्होने मुझे दिखाया कि अध्ययन की वास्तविकता को सही ढंग से कैसे पूरा किया जाये जो मेरी आगे की जरुरतों के लिए आवश्यक था।

मैं अपने परमपूज्य भाई सुशील शर्मा एवं मित्र पवन सोनी को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होने सदैव शोधकार्य में मेरा मार्गदर्शन किया एवं आँकडो के विश्लेषण एवं व्याख्या करने में मुझे मानसिक रुप से शोधकार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करने को तत्पर किया।

अंतत उस परम तत्व के प्रति अपनी श्रद्वा प्रकट करता हूँ जिसकी प्रेरणा और शक्ति के आधार पर प्रस्तुत यह शोधकार्य साकार हो सका।